तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.54/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की [illegible] मे जारी हुए
21.11.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (रमेश कुमार माली पुत्र गुलाब जी माली, जाति– माली, निवासी– अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कृष्णा घी भण्डार, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (श्री जितेन्द्र परिहार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स महावीर ट्रेडर्स, 48, शान्ति नगर कॉलोनी, कोलीवाडा रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली) के अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित।	

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2020 को फर्म कृष्णा घी भण्डार, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रमेश कुमार माली पुत्र गुलाब जी माली, जाति– माली, निवासी– अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1261 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./881/Act/2020/880 दिनांक 16.12.2020 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 (रमेश कुमार माली) ने इस न्यायालय में दिनांक 13.12.2021 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रतिवादी रमेश कुमार माली इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–2 (जितेन्द्र परिहार) की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 (जितेन्द्र परिहार) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि दिनांक 11.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 (जितेन्द्र परिहार) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म किसी भी प्रकार के मिस ब्राण्ड घी का निर्माण नही करती है व प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही घी का निर्माण कर बेचान करने का कार्य करता है। प्रार्थी द्वारा जिस घी का सेम्पल लिया गया है वह प्रतिवादी संख्या–2 के फर्म द्वारा निर्मित घी नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 की फर्म में सेम्पल लेने की कार्यवाही नही कर कार्यालय में बैठकर ही पूरी कार्यवाही सम्पादित की है। [illegible] प्रतिवादी के समक्ष कोई कार्यवाही सम्पादित नही की [illegible] कि प्रतिवादी जितेन्द्र परिहार की फर्म द्वारा [illegible] निर्धारित मानकों के अनुसार [illegible] है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.54/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.11..2020 को समय 11.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कृष्णा घी भण्डार, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से रमेश कुमार माली पुत्र गुलाब जी माली, जाति– माली, निवासी– अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह, कार्यालय रानीवाडा सरस डेयरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी रमेश कुमार माली को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) में से खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1440/– (अक्षरे रुपये एक हजार चार सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी रमेश कुमार माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1261, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1261 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अ[illegible] नमूना [illegible] भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर [illegible] नमूना भागों को आउटर

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.54/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.11.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 09.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कृष्णा घी भण्डार, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता रमेश कुमार माली से खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1261 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./881/Act/2020/880 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश कुमार माली पुत्र गुलाब जी माली, जाति– माली, निवासी– अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला– सिरोही की की फर्म कृष्णा घी भण्डार, मेन मार्केट, शिवगंज द्वारा खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक–एक लीटर) को जरिये बिल मैसर्स महावीर ट्रेडर्स, भैरु चौक, चौधरी कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला– सिरोही से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी जितेन्द्र पहिर की फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (जय किशना ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रमेश कुमार माली पुत्र गुलाब जी माली, जाति– माली, निवासी– अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कृष्णा घी भण्डार, मेन

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:33 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.54/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) श्री जितेन्द्र परिहार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स महावीर ट्रेडर्स, 48, शान्ति नगर कॉलोनी, कोलीवाडा रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.12.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:33 IST
Reason: SelfAttested